व्यापार कर विभाग
उत्तर प्रदेश

[जमानत]

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

जमानत

प्रश्न-1 वैट अधिनियम के अन्तर्गत जमानत की मांग कब की जा सकती है ?

उत्तर वैट अधिनियम की धारा -19 के अनुसार निम्नलिखित प्रयोजनो हेतु जमानत / अतिरिक्त जमानत मांगी जा सकती है :-

1-पंजीयन देने या जारी रखने हेतु

2-फार्मो की उचित कस्टडी/प्रयोग हेत

3- कर अर्थदण्ड या अन्य देयों की वसूली के लिए

प्रश्न-2 इस प्रकार की जमानत की अधिकतम सीमा क्या होगी ?

उत्तर जमानत की अधिकतम सीमा एक वर्ष में देयकर के बराबर अथवा जिस प्रयोजन हेतु मांगी जा रही है उसकी स्थिति के अनुसार ।

प्रश्न-3 क्या जमानत प्रत्येक व्यापारी से मांगी जाएगी ?

उत्तर नही / जमानत केवल उन्ही मामलों में मांगी जाएगी जिन मामलों में राजस्व की सुरक्षा के लिए जमानत मांगा जाना आवश्यक हो और जमानत का कारण लिखित रुप से देना होगा ।

प्रश्न-4 क्या विभाग द्वारा जमानत मांगा जाना स्वविवेक से होगा?

उत्तर जमानत मांगे जाने का निर्णय स्वविवेक से होगा परन्तु जमानत मांगे जाने के पूर्व व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

प्रश्न-5 क्या जमानत मांगे जाने के आदेश के विरुद्व अपील की जा सकती है ?

उत्तर हॉ / जमानत मांगे जाने के आदेश के विरुद्व अपील की जा सकती है ।

प्रश्न-6 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में यदि किसी व्यापारी ने जमानत दे रखी है तो क्या वह वैट अधिनियम में वैध व प्रवृत्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

मानी जाएगी ?

उत्तर — हॉ / वैट अधिनियम की धारा -19 के अनुसार यदि ऐसी जमानत को जारी रखने की सूचना व्यापारी द्वारा अपने कर निर्धारण अधिकारी को धारा 81 (5) में निर्धारित प्रारुप में जमानतियों की अंडरटेकिग के साथ दी जाती है तो पूर्व में दी गयी जमानत वैध मानी जाएगी ।

प्रश्न -7 — क्या किसी जमानती की मृत्यु होने पर नई जमानत देनी होगी ?

उत्तर — हॉ, जमानती की मृत्यु होने या उसके दिवालिया होने के 30 दिन के भीतर कर निर्धारण अधिकारी को सूचना व घटना की तिथि से 60 दिन के भीतर नई जमानत देनी होगी ।

प्रश्न-8 — जमानत किन स्वरुपों में दी जा सकती है ?

उत्तर — वैट नियमावली के नियम -37 के अनुसार जमानत निम्न प्रकार से दी जा सकती है :-

क- निजी सम्पत्ति पर विभाग की बकाया का प्रथम चार्ज बनाकर ।

ख-तीन वर्ष पुराने तीन पजीकृत व्यापारियों जो डिफाल्टर न हो का सिक्योरिटी बान्ड ।

ग- जिलाधिकारी से सत्यापित दो व्यक्तियों का सिक्योरिटी बान्ड ।

घ- व्यापारी अपनी इच्छानुसार नगद,वैक गारन्टी, एफ0डी0आर0 एन0एस0सी0 के रुप में भी जमानत दे सकता है ।

प्रश्न-9 — दी गई जमानत सत्यापन पर यदि गलत पायी जाती है तो क्या व्यवस्था होगी ?

उत्तर — ऐसा होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नगद, बैक गारन्टी, एफ0डी0आर0 एन0एस0सी0 आदि के रुप में जमानत मॉगी जा सकती है।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

प्रश्न-10 क्या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जमानत जब्त की जा सकती है ?

उत्तर हॉ/ व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करके कारण सहित लिखित आदेश करते हुए कर निर्धारण अधिकारी देयकर अर्थदण्ड या अन्य देयो की वसूली के लिए या विभागीय फार्मो का दुरुपयोग होने पर जमानत जब्त कर सकते है ।

प्रश्न-11 दी गयी जमानत जब्त होने का परिणाम क्या होगा ?

उत्तर जमानत से देयो की वसूली होने की दशा में जो अवशेष जमानत बची रहेगी, वह यदि कम पड गयी है तो कमी पूरी करने के लिए व्यापारी को अतिरिक्त जमानत देनी होगी ।

प्रश्न-12 यदि कोई व्यापारी मांगी गयी जमानत नही देता है या जब्त होने की दशा में जमानत कम पड जानी है और वह अतिरिक्त जमानत नही देता है तो परिणाम क्या होगा ?

उत्तर ऐसी स्थिति में यदि पजीयन जारी नही हुआ है तो पजीयन जारी करने से मना किया जा सकता है और यदि जारी हो गया है तो पंजीयन को सस्पेन्ड करने की कार्यवाही व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त की जा सकती है तथा विभागीय फार्म भी देने से मना किया जा सकता है ।

प्रश्न-13 जमानत कब वापस होगी?

उत्तर जिस प्रयोजन के लिए जमानत ली गई है उसके समाप्त होने या विदयमान न रहने पर व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर जमानत की राशि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी और यदि जमानती बॉन्ड दिया गया है तो जमानतियों को अवमुक्त कर दिया जाएगा ।

***

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com